उपस्थित [illegible] हुई। वकील वादी श्री [illegible] उपस्थित हुई। वकील वादी का कथन विवादित भूमि वादग्रस्त विभाग के समक्ष न्यायालय के समक्ष महवाद "Res Subjudice" की श्रेणी में आता है। जिसके धारा 10 CPC के तहत इस न्यायालय में यह पोषणीय नहीं है, अतः महवाद खारिज किया जाता है। विपक्षी भूमि आवंटन के लिये जारी आदेश अवैध किया गया है। मुताबिक विपक्षी अतिक्रमी जब्ती की जाये। साथ तहसीलदार जयपुर को पालन हेतु रिपोर्ट जारी करे। पक्षकार दर्ज रजिस्टर से कम होकर पक्षकार दूसरा होकर शामिल करा है। विपक्षी आवंटन आदेश को [illegible] न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:40:22 IST
Reason: SelfAttested

अर्शदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम